

**उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी**  
(जिला योजना)

**सूचना**

आकांक्षी जिला योजना मद से खूँटी जिला के खूँटी, मुरहू, तोरपा, अड़की, रनियाँ एवं कर्रा प्रखण्ड के कुल 100 अकुशल युवकों को मान्यता प्राप्त माटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान में Heavy Motor Vehicle, Tipper, Loader-Excavator Category में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में अपने-अपने वार्ड प्रतिनिधि/मुखिया से अग्रसारित कराते हुए अपने-अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 04.11.2019 तक जमा कर सकते हैं।

क्र०	वाहन का प्रकार	शैक्षणिक योग्यता	उम्र सीमा	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण शुल्क	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रशिक्षण स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Heavy Motor Vehicle (Truck, Bus etc.)	न्यूनतम 8वीं पास या उससे उपर	न्यूनतम 21 वर्ष	30 दिन	शून्य	आवासीय	ट्रक ड्राइविंग स्कूल, धनबाद	खूँटी नियोजन कार्यालय में निबंधित उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।
2	Tipper (Highwa)							
3	Loader-Excavator Category (JCB)							

Heavy Motor Vehicle में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी को कम-से-कम एक वर्ष का LMV का लाईसेंस होना अनिवार्य है। एक अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक प्रकार के वाहन के प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। पहले प्राप्त आवेदनों के प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण हेतु युवकों को प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र जिला योजना कार्यालय के सूचना पट्ट या खूँटी जिला के वेबसाईट [www.khunti.nic.in](http://www.khunti.nic.in) पर देखा जा सकता है।

**6/11/19**  
उपायुक्त,  
खूँटी

**प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र का प्रपत्र**

प्रखण्ड का नाम	..... पंचायत का नाम .....
1. नाम	.....
2. पिता का नाम	.....
3. स्थायी पता	.....
4. वर्तमान पता	.....
5. जन्म तिथि	.....
6. जाति	.....
7. शैक्षणिक योग्यता	.....

आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
स्वहस्ताक्षरित

क्र०	परीक्षा का नाम	पास होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1					
2					

- नियोजनालय में निबंधन की संख्या
- ईच्छुक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
- मोबाईल नम्बर
- LMV ड्राइविंग लाईसेंस संख्या/वर्ष
- लाईसेंस कहाँ से निर्गत है

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर दी गई सूचना मेरी जानकारी में सही है। कोई गलत या झूठा सूचना होने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, तथा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण किये बिना बीच में प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने पर मेरे उपर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि मुझसे/अभिभावक से एक मुश्त में वसूलनीय होगी।

अग्रसारित करने वाले पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

**आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली प्रमाण-पत्र**

- उम्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- अंक प्रमाण-पत्र (जिस कक्षा में वे उत्तीर्ण हुए हो) की अभिप्रमाणित प्रति।
- निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- पासपोर्ट साईज का दो (02) फोटोग्राफ (जिसमें से एक आवेदन-पत्र पर चिपका हो)
- नियोजनालय में निबंधन संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति